न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 03/2020

तिलोकाराम बनाम भीखाराम व अन्य

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1302–
14/10/20

आदेश

दिनांक : 14.10.2020

प्रार्थीगण तिलोकाराम व अन्य की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद सं. 111/2007 भीखाराम बनाम बुधाराम को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण भीखाराम व अन्य की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौरान सुनवाई प्रकट किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली किसी भी न्यायालय को स्थानान्तरित की जाती हैं तो उन्हे कोई आपत्ति नही हैं।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थीगण के द्वारा प्रकट तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत राजस्व वाद सं. 111/2007 भीखाराम बनाम बुधाराम सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा से सहायक कलक्टर (एसडीओ) सिणधरी के न्यायालय में अग्रिम सुनवाई एवं निस्तारण हेतु स्थानान्तरित किया जाता हैं। उभय पक्षकारान वाद में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 03.11.2020 को सहायक कलक्टर (एसडीओ) सिणधरी के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करें।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2020/ 1303–07 दिनांक : 14/10/20

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा/सिणधरी (मय मूल पत्रावली)
2. अधिवक्ता प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:46:55 IST
Reason: SelfAttested

फोन–02982–220003 (ऑफिस), ई–मेल dm-bar-rj@nic.in